

# सच बोलने की शिक्षा

मुहम्मद अज़हर मदनी

अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलौहि वसल्लम ने फ़रमाया: तुम सच्चाई पर स्थापित रहो, क्योंकि सच्चाई नेकी के पथ पर ले जाती है और नेकी जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाती है। इन्सान निरन्तर सच बोलता रहता है और प्रयास से सच पर स्थापित रहता है यहाँ तक कि वह अल्लाह के यहाँ सत्यवान लिख लिया जाता है और झूठ से दूर रहो क्योंकि झूझ गुमराही के रास्ते पर ले जाता है और झूठ आग की तरफ ले जाता है। इन्सान लगातार झूठ बोलता रहता है और झूठ का इरादा भी करता है यहाँ तक कि अल्लाह के नजदीक उसे झूठा लिख दिया जाता है। (सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम)

पवित्र कुरआन में जगह-जगह सत्य बोलने वालों की प्रशंसा की गई है।

कहा जाता है कि झूठ बोलने के बाद याद रखना पड़ता है कि झूठ बोलने वाले ने भूतपूर्व में क्या क्या कहा था। इसी तरह सच बात के बारे में कहा जाता है कि इस को याद नहीं करना पड़ता है बल्कि सच बोलने के बाद इन्सान संतुष्ट रहता है कि मैंने सच ही बोला था लेकिन झूठ बोलने के बाद इन्सान उलझन में लिप्त हो जाता है उसको यह ध्यान नहीं रह जाता है कि अब उसको आने वाले दिनों में अपने झूठ को छिपाने के लिये क्या करना है। झूठ के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिये कई झूठ बोलने पड़ते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है कि झूठ से पर्दा उठ जाता है।

इस हीस में झूठ को नाकामी बुनियाद कहा गया है अर्थात झूठ बोलने वाला नरक में जायेगा, यह उसके झूठ का बुरा अंजाम है।

इसी तरह से हीस के दूसरे भाग में सच को सफलता कहा गया है अर्थात सच बोलने वाला जन्नत में जायेगा यह इन्सान के सच बोलने का सुगम परिणाम है और उसके जीवन का मक़सद भी यही है कि वह दुनिया में सच्चाई के रास्ते पर चल कर अपने पालनहार को खुश करके स्वर्ग में चला जाये, इसी लिये इस्लाम धर्म ने हर इन्सान को सच बोलने और सच के रास्ते पर चलने, सच्चाई का साथ देने की शिक्षा दी है ताकि हर इन्सान सच्चाई के रास्ते पर चल कर स्वयं भी सफल हो जाये और अपने परिवार वालों को भी जहन्नम की आग से बचा ले जाये।

एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलौहि वसल्लम ने फ़रमाया: कि जो मुझे तीन चीज़ों की ज़मानत दे दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मुंह, पेट और शर्मगाह। इस हीस से भी सच्चाई की अहमियत का पता चलता है और सच बोलने की प्रेरणा दी गई है।

मासिक

# इसलाहे समाज

जनवरी 2024 वर्ष 35 अंक 1  
रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी

## संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफी'

## संपादक

मुहम्मद ताहिर

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये

## सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)

4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद

दिल्ली-110006

फोन : 23273407 फैक्स: 23246613

RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने  
मर्कज़ी जमीअत अहले हडीस हिन्द की ओर से  
एम.एस. प्रिन्टर्स, A-145 गली न० 8 चौहान  
बांगर, सीलमपुर, दिल्ली-53 से छपवा कर  
अहले हडीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा  
मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: मुहम्मद ताहिर

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

## इस अंक में

- |   |    |
|---|----|
| 1. सच बोलने की शिक्षा   | 02 |
| 2. प्रदूषण  | 04 |
| 3. कुरआन में सद्व्यवहार की शिक्षाएं                               | 08 |
| 4. दीन के मामले में कोई ज़ोर नहीं                                 | 13 |
| 5. गुनेहगारों के साथ नरमी   | 18 |
| 6. इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था निर्धन के<br>अधिकार की रक्षा करती है | 19 |
| 7. ईश्दूत हज़रत मुहम्मद स० की शिक्षाएं                            | 23 |
| 8. राष्ट्रीय सद्भावना और गैर मुस्लिमों के..                       | 26 |
| 10. अपील  | 27 |
| 11. अहले हडीस मंज़िल (विज्ञापन)                                   | 28 |

ईमेल:-

[Jaridahtarjuman@gmail.com](mailto:Jaridahtarjuman@gmail.com)

[Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com](mailto:Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com)

जब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है

वेब साइट:- [www.ahlehadees.org](http://www.ahlehadees.org)

# प्रदूषण

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी  
अध्यक्ष, मर्कज़ी जमीअत अहले हवीस हिन्द

इस वक्त संसार के महत्वपूर्ण शहर और उनकी धनी आबादी बढ़ती हुए प्रदूषण से परेशान है और इस पर काबू पाने के लिये नये नये उपाय कर रही हैं फिर भी पर्यावरण और उसके मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। लोग जाने अनजाने में ज़हर पी रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं इनको नियंत्रित करने और उनके उपचार के लिये अनेकों प्रयास हो रहे हैं। प्रदूषण कम करने के लिये विभिन्न प्रकार के उपाय हो रहे हैं और पर्यावरण को ठीक करने के लिये जंगलात और पेड़ पौधे लगाये जा रहे हैं। आबादी के बोझ को कम करने के लिये योजनाएं बनाई जा रही हैं। विभिन्न तरीके से जीवन के संसाधनों में कटौतियां की जा रही हैं। गाड़ियों और चूलहों के ईंटों के बदलाव उनके रख रखाव और उद्योग व बनावट में आधुनिक अविष्कार किये जा रहे हैं। ट्रांस्पोर्ट में सम-विषम के फारमूले आपनाने

पड़ रहे हैं। गैस और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को कम खतरनाक बताया जा रहा है, डीज़ल, करोशन, कोयले और अन्य ईंधनों की सख्ती से मनाही हो रही है। कहने का मतलब यह है कि सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और हस्तियां सब इस संदर्भ में चिंतित हैं और अपने अपने स्तर पर उपाय कर रहे हैं मगर “मर्ज़ बढ़ता गया ज्यूँ ज्यूँ दवा की” की स्थिति है।

कभी-कभी तो ऐसा लगने लगता है कि “उलटी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया” और देखते ही देखते अब यह पालूशन सब का काम तमाम करता जा रहा है।

सख्त ज़रूरत और मजबूरी में पराली और गेहूँ की भूस जलाने से बड़े-बड़े शहरों के हालात ख़राब होते जा रहे हैं। दिहात के किसानों की कुछ आवश्यकताएं हैं और कुछ मजबूरियां हैं मगर माहौल को ख़राब

करने में इनका बड़ा हाथ नज़र आता है। धूल मिटटी और गर्द गुबार जो किसी भी वजह से उठते हों, उनके नुकसानात भी कम नहीं हैं। जबकि इसमें बाज़ काम जो धूल मिटटी और गर्द व गुबार के हैं अत्यंत ज़खरी हैं। हवाएं न चलें तो बादल कहां से आएं? धुटन का माहौल अलग से हो जाता है। पानी की अहमियत, मिटटी की ज़खरत और आग की आवश्यकता सब महसूस करते हैं मगर हवा के बिना तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता लेकिन उद्योग के अवशेष, गलोबल वारमिंग, कीटनाशक दवाएं, तेल जलाने से निकलने वाला धुवाँ, जंगलों में आग लगना, ईंट भट्टों, चिमनियों और राख पैदा करने वाली फैक्टरियों से उठता हुआ धुवाँ, पुराने घरों के गिरने और नये घरों के निर्माण से उठती धूल, ट्रांस्पोर्ट के विभिन्न संसाधन प्रदूषण के फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये इन्सान

की महत्वपूर्ण ज़रूरत रोटी, कपड़ा मकान से संबन्धित मामलात जिन से प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है इन पर भी अधिकतर पाबन्दी लगा दी जाती है। मिसाल के तौर पर मकान को गिराने और नये मकान बनाने में प्रदूषण बढ़ने लगता है इसलिये ज्यादातर बढ़ते हुए प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिये इस पर भी पाबन्दी लगा दी जाती है। इसी तरह रोटी का पकवान कम कर दिया जाता है और जिस में प्रदूषण कम हो वह उपाय अपनाया जाती है। कपड़ा जो जीवन के ज़रूरी सामान में से है, इसकी फैक्टरियों और मिलों पर पाबन्दी लग जाता है और इनके लिये सुदूर स्थानों को निर्धारित किया जाता है फिर भी बीमारी फैल रही है और महामारी की शक्ति ले लेते हैं। लोग भाग भाग कर जंगलों और विभिन्न मैदानों की तरफ निकल रहे हैं कि शरीर से विष का कुछ भाग तो निकले या कम से कम थोड़े साफ वातावरण में सांस लें। खाद्य पदार्थों की स्थिति और मात्रा में स्पष्ट अन्तर कर रहे हैं और

कुवालिटी एवं मात्रा का विशेष ध्यान रखते हैं, मेनू, चार्ट, समय और स्थान निर्धारित हो रहे हैं। फिर भी मालदार विकसित और विकास शील देश इस जंजाल से निकलने में नाकाम हैं। जीवन अजीर्न हो रहा है। आप की और आने वाली पीढ़ियों के बारे में सब चिंतित हैं कि गन्दे, गदले और गड़बड़ वातावरण में राष्ट्र व समुदाय की यह नस्ल, मानवता और भविष्य की यह पीढ़ी आखिर क्या कर सकेंगे? इन कमजोर कंधों पर महत्वपूर्ण बोझ हम डाल रहे हैं और इनको इतना कमजोर बना रहे हैं वह भला क्यों इस जिम्मेदारी से छुटकारा पा सकते हैं। स्वयं आज उनको जीवित और सही व स्वस्थ कैसे रखा जा सके जिससे उनका उत्थान हो सके? उनको प्रदूषण से बचाने की चिंता और व्यवहारिक कदम उठाने पर सब मजबूर हो रहे हैं फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं।

जिस तरह से वायू, ध्वनि और जल प्रदूषण मानव के वजूद के लिये खतरनाक है इससे कहीं ज्यादा नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रदूषण किसी भी

समाज व देश के अम्न व शान्ति और शुभ और बरकत के लिये अत्यंत खतरनाक है इसलिये जाहिरी (बाह्य) प्रदूषण से ज्यादा आध्यात्मिक प्रदूषण को ख़तम करने और इन से बचाव के लिये व्यक्ति, जमाअत, संस्थाओं और देशों को उपाय करने की ज़रूरत है। वरना यह प्रदूषण समाज को घुन की तरह खा जायेगा, पूरा समाज इसके प्रदूषण की लपेट में आ कर बर्बाद हो जायेगा, आपसी दुश्मनी सबको अपने धेरे में ले कर एक दूसरे से बरसरे पैकार कर देगी जिस की तबाही बड़ी भयानक होगी। हम अपनी खुली आखों से देख रहे हैं कि पक्षपात व दुश्मनी के कैसे कैसे भयानक शोले मुल्कों, क्षेत्रों और परिवारों को हलाक कर रहे हैं। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की बीवियों में से एक बीवी ने अपनी सौतन को केवल नाटी कह दिया तो इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम ने ऐसी बात कही कि अगर इसे समुद्र (जिस से देश और असंख्य जानदार पाक साफ

पानी और जीवन व ऊर्जा प्राप्त करते हैं) के पानी में घोल दिया जाये तो वह इसे प्रदूषित कर दे और इसका स्वाद बदल डाले। (तिर्मिज़ी)

जब इतनी छोटी बात इतने प्रदूषण का सबब बन सकती है और समाज में नफरत व दुश्मनी का ज़हर घोल सकती है तो भला बताओ कि जब हर स्तर पर एक कौम दूसरी कौम पर, एक सूसाइटी दूसरी

सूसाइटी पर एक भाई दूसरे भाई पर और एक शख्स दूसरे शख्स पर ऐब और लांछन लगा रहा है, एक दूसरे की गीबत कर रहा है एक दूसरे को पक्षपात और डाह का शिकार बना रहा है तो फिर कितने समुद्र, कितने दरिया, कितने जंगलात व माहौलियात खराब और प्रदूषित हो रहे होंगे। लोगो! जिस तरह से जाहिरी प्रछूषण तुम्हारे अन्दुरुनी

शारीर की ख़राबी का सबब बन रहा है इसी तरह से यह आर्थिक व आध्यात्मिक प्रदूषण भी तुम्हारे जाहिरी और अन्दुरुनी वातावरण के लिये कैंसर और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिये नासूर बन रहा है। अल्लाह तआला हम सभी को इस प्रकोप से बचाये।



## पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सूचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अनुरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

# कुरआन में सद्व्यवहार की शिक्षाएं

कुरआन सद्व्यवहार तथा सदाचार का इन्साइक्लोपीडिया है, जिनको कुछ पृष्ठों में समाहित करना असम्भव है। इसलिए यहां कुछ का वर्णन किया जा रहा है।

## □ प्रेम और दयालुता

यह भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारी ही सहजाति से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, ताकि तुम उनके पास शान्ति प्राप्त करो और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा की और निश्चय ही इसमें बहुत सी निशानियां उन लोगों के लिए हैं, जो सोच-विचार करते हैं, (सूरा-३०, अर-रूम, आयत-२९)

## □ एक-दूसरे का सहयोग करना

ऐसा न हो कि एक गिरोह की शत्रुता, जिसने तुम्हें मस्जिदे-हराम से रोक दिया था, तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम ज्यादती करने लगो। पुण्य कर्मों तथा ईश-भय के काम में तुम एक दूसरे का सहयोग करो और अपुण्य कर्मों और एक-दूसरे पर

अत्याचार करने पर सहयोग मत करो। अल्लाह का भय रखो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा कठोर दण्ड देने वाला है। (सूरा-५, माइदा, आयत-२)

## □ न्याय करने का आदेश

निश्चय ही अल्लाह न्याय करने, भलाई करने, तथा नातेदारों को (उनका हक) देने का आदेश देता है और अशलीलता, बुराई तथा सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें नसीहत करता है, ताकि तुम ध्यान दो। (सूरा-१६, अन-नह्ल, आयत-६०)

## □ लोगों से भली बात करना

अल्लाह ने बनी इसराईल से जो वचन लिया था, उसमें भली बात करना भी शामिल था, परन्तु उन्होंने इसको भंग कर दिया।

याद करो जब इसराईल की सन्तान से हमने वचन लिया था कि अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की बन्दगी न करना, और मां-बाप के साथ, नातेदारों के साथ, अनाथों तथा

निर्धनों के साथ अच्छा व्यवहार करना और यह कि लोगों से भली बात करना और नमाज़ का आयोजन करना और ज़कात देना। तो तुम्हें थोड़े-से (लोग) ही इन बातों पर स्थिर रहे और अधिकतर लोग इनसे फिर गए। (सूरा-अल बकरा आयत-८३)

## □ बुराई का सुधार भलाई से करना

एक मुसलमान को अत्यन्त सहनशील तथा कोमल स्वभाव होना चाहिये, जो बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि भलाई से दे। इसी की ओर कुरआन संकेत करता है।

“अच्छे आचरण और बुरे आचरण समान नहीं होते। इसलिए बुरे आचरण को अच्छे आचरण से दूर करो। फिर क्या देखोगे कि वही व्यक्ति, तुम्हारे और जिसके बीच वैर था, जैसे वह कोई घनिष्ठ मित्र हो। और यह बात केवल उन लोगों को प्राप्त होती है जिन्होंने धैर्य से काम

लिया। और उन लोगों को प्राप्त होती है जो बड़े भाग्यवान होते हैं। और यदि शैतान के उकसाने से कभी तुम्हारे अन्दर उकसाहट पैदा हो तो अल्लाह की पनाह मांगो। निस्न्देह वह सुनने और जानने वाला है।” (सूरा-४९, हा-मीम अस-सजदा, आयतें-३४-३६)

#### □ ठीक और सीधी बात करना

“ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरते रहो, और बात कहो तो ठीक और सीधी कहो। वह तुम्हारे कर्मों को संवार देगा और तुम्हारे गुनाहों को क्षमा कर देगा और जिसने अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन किया, उसने बड़ी सफलता प्राप्त कर ली।” (सूरा-३३, अल-अहजाब, आयतें-७०-७१)

#### □ सफलता प्राप्त करने वाले मोमिनों के लक्षण

सफल हो गए ईमान वाले जो अपनी नमाज़ों में नम्रता अपनाते हैं।

और जो व्यर्थ बातों से बचने वाले हैं।

और जो ज़कात अदा करते हैं।

और जो अपनी शर्मगाहों (गुलांगों) की रक्षा करते हैं। सिवाय अपनी पत्नियों के और लौंडियों के, जो उनके अधिकार में हों। इस दशा में वे निन्दनीय नहीं हैं परन्तु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा से आगे बढ़ने वाले हैं।

और जो अपनी जमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं।

और जो अपनी नमाज़ों को सही समय पर अदा करते हैं।

यह लोग वारिस होंगे, जो विरासत में फिरदौस पांगे। वे उसमें सदैव रहेंगे। (सूरा-२३, अल-मोमिनून, आयतें-१-११)

#### □ क़र्ज़ लेने वाला अगर तंगी में पड़ जाए तो उसको कुछ अवसर देना।

“यदि क़र्ज़ लेने वाला तंगी में पड़ जाए, तो उसका हाथ खुलने तक उसे समय दो। और अगर दान कर दो तो यह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होगा, अगर तुम जानते।” (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२८०)

अर्थात् क़र्ज़ लेने वाला निश्चित समय पर क़र्ज़ न लौटा सके तो

उसको कुछ और समय दे दो और अगर तुम अनुभव कर लो कि अब वह क़र्ज़ वापस नहीं कर सकता, तो क्षमा कर दो। जो बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। इस बात को जानना चाहिए।

#### □ मतभेद की दशा में अल्लाह तथा उसके रसूल की ओर रुजू करना

“ऐ ईमानवालो! अल्लाह की आज्ञा का पालन करो, और रसूल का कहना मानो, और उसका भी कहना मानो जो तुम्हारा अधिकारी हो। फिर यदि तुम्हारे बीच कोई मतभेद हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की ओर पलटो।” (सूरा-४, अन-निसा, आयत-५६)

अर्थात् कैसी भी समस्या हो, उसको हल करने के लिए अल्लाह की किताब कुरआन, और नबी की सुन्नत की ओर रुजू करना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के मार्गदर्शन के यही दो स्रोत हैं।

#### □ मजलिस में कुशादगी पैदा करना

“ऐ ईमान वालो, जब तुमसे कहा जाए, मजलिसों में जगह कुशादा कर दो। तो कुशादा कर दो। अल्लाह

तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा । और जब तुमसे कहा जाए, उठ जाओ तो उठ जाया करो । तुममें से जो ईमान लाए और उन्हें ज्ञान प्रदान किया गया, अल्लाह उनके दर्जों को उच्चता प्रदान करेगा । जो तुम करते हो, अल्लाह उसकी पूरी ख़बर रखता है” । (सूरा-५८, अल- मुजादला, आयत-११)

मजलिस में कुशादगी का अर्थ है कि इस प्रकार बैठा जाए कि दूसरों को भी स्थान मिल जाए ।

#### □ नीची निगाहें रखना

“ईमान वालों से कहो, वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की रक्षा करें । यह उनके लिए बहुत पवित्रता की बात है । निस्सन्देह अल्लाह उनके कर्मों से परिचित है । (और इसी प्रकार) ईमान वाली स्त्रियों से कहो, वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की रक्षा करें” । (सूरा-२४, अन-नूर, आयतें-३० -३१)

भली बात कहना उस दान से उत्तम है जिसके पीछे दुख हो ।

भली बात कहना, और क्षमा से काम लेना उस सदके से उत्तम है

जिसके पीछे दुख देने की बात हो । और अल्लाह निस्यूह और सहनशील है । (सूरा-२, अल बक़रा, आयत २६३)

अर्थात् किसी को दान तथा सदका देकर इसका एहसान जताना दुख पहुंचाने के समान है । इससे उत्तम तो यही था कि केवल भली और अच्छी-अच्छी बातें कर ली जातीं ।

#### □ फ़क़ीर (मोहताज) की बनियाज़ी

“यह उन फ़कीरों (मोहताजों) के लिए है जो अल्लाह की राह में घिरे हुए हैं । (जीविका के लिए) धरती में दौड़-भाग नहीं कर सकते । उनके स्वाभिमान के कारण अनभिज्ञ लोग उनको धनवान समझते हैं । तुम उनके लक्षणों से उन्हें पहचान सकते हो । वे लोगों से चिमट-चिमटकर नहीं मांगते । और जो धन भी तुम ख़र्च करोगे तो निस्सन्देह अल्लाह उसका जानने वाला है ।” (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-२७३)

नबी फ़क़ीरी में भी लोगों से बेनियाज़ी की दुआ करते थे ।

ऐ अल्लाह अपने अतिरिक्त किसी और का मोहताज न बना ।

(देखिए तिरमिज़ी ३५६३ तथा हाकिम १:५३८)

#### □ धैर्य के द्वारा सफलता प्राप्त करना ।

“धैर्य और नमाज़ से सहायता लो, निस्सन्देह नमाज़ है तो बहुत कठिन, परन्तु उन लोगों के लिए नहीं जिनके दिल अल्लाह से भयभीत हैं ।” (सूरा-२, अल बक़रा, आयत ४५)

“ऐ इमान वालों धैर्य और नमाज़ से सहायता लो । निस्सन्देह अल्लाह धैर्यवानों के साथ है ।” (सूरा-२, अल-बक़रा, आयत-१५३)

निस्सन्देह हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कुछ भय से, कुछ भूख से, कुछ जान-माल और पैदावार की कमी से । (ऐसी दशा में) धैर्यवानों को शुभ-सूचना दे दो । ये वे लोग हैं कि जब इन्हें कोई कष्ट पहुंचता है तो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजि़न (अर्थात् निस्सन्देह हम अल्लाह ही के लिए हैं, और हम उसी की ओर लौटने वाले हैं) यही लोग हैं जिनके लिए उनके रब की विशेष कृपाएं हैं और दयालुता भी । और यही लोग सीधे मार्ग पर चलने

वाले हैं। (सूरा-२, अल-बक़रा, आयतें १५५-१५७)

ऐ ईमान वालों! धैर्य से काम लो, और बढ़-चढ़ कर धैर्य दिखाओ और (मोर्चों पर) जुटे और डटे रहो। और अल्लाह से डरते रहो, ताकि तुम सफल हो जाओ। (सूरा-३, आले-इमरान, आयत-२००)

#### □ अमानतों को उनके मालिकों के हवाले करना

अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें उनके मालिकों के हवाले कर दो। और जब लोगों के बीच निर्णय करो तो न्यायपूर्वक निर्णय किया करो। अल्लाह तुम्हें कितना उत्तम उपदेश देता है। निस्सन्देह अल्लाह सुनने वाला, और देखने वाला है।” (सूरा-४, अन-निसा, आयत-८५)

#### □ न्याय का मार्ग अपनाना

अल्लाह तुम्हें इससे नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और उनके साथ इनसाफ़ करो जिन्होंने तुमसे धर्म के कारण युद्ध नहीं किया और न तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला। निस्सन्देह अल्लाह न्याय करने वालों से प्रेम करता है। (सूरा-६०, अल-मुस्तहिना,

आयतें-८, ६)

‘ऐ ईमान वालो! इनसाफ़ की गवाही देते हुए अल्लाह के मार्ग पर शक्ति के साथ डटे रहो। कहीं ऐसा न हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इस बात पर उभारे कि तुम इन्साफ़ करना छोड़ दो। इन्साफ़ करो, यह तक़वा (ईश-परायणता) से निकटतम है। अल्लाह से डरते रहो, निस्सन्देह तुम जो कुछ करते हो, अल्लाह उससे परिचित है।’ (सूरा-५, अल-माइदा, आयत-८)

प्रत्येक व्यक्ति को वही मिलेगा जो उसने किया

“और यह कि मनुष्य के लिए बस वही है जिसके लिए उसने प्रयास किया।” सूरा-५३, अन-नज्म, आयत-३६)

पापी अपने पाप का स्वयं उत्तरदायी है

जो कोई पाप करेगा, वह अपने लिए करेगा, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी है। (सूरा-४, अन-निसा, आयत-१११)

“यह कि प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ करता है उसका फल वही भोगेगा, कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा।” (सूरा-६, इसलाहे समाज

अल अनआम, आयत-१६४)

यह कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। सूरा-५३, अन नज्म, आयत-३८

#### □ प्रतिज्ञा पूरी करना

प्रतिज्ञा पूरी करो, निश्चय ही प्रतिज्ञा के विषय में पूछा जाएगा। सूरा-१७, बनी इसराईल, आयत-३४

अच्छे और बुरे कर्म का फल स्वयं चखना पड़ेगा।

“जिस किसी ने अच्छा कर्म किया तो अपने ही लिए किया, और जिस किसी ने बुरा कर्म किया तो उसका बबाल भी उसी पर पड़ेगा वास्तव में तुम्हारा रब अपने बन्दों पर तनिक भी अत्याचार नहीं करता।” (सूरा-४९, हा-मीम अस-सजदा, आयत-४६)

#### □ धैर्य ग्रहण करना बदला लेने से उत्तम है

“यदि बदला लो भी तो बिल्कुल उतना ही जितना दुख तुम्हें पहुंचाया गया हो, तथा यदि धैर्य रखो तो निस्सन्देह धैर्यवानों के लिए यही उत्तम है।” (सूरा-१६, अन-नहल, आयत-१२६)

#### □ अल्लाह के मार्ग में ख़र्च करने वाले लोग

“जो लोग अल्लाह के मार्ग में खर्च करते हैं, उनकी उपमा उस दाने जैसी है, जिसमें से सात बालियां निकलें और प्रत्येक बाली में सौ दाने हों। अल्लाह जिसे चाहता है बढ़ोतरी प्रदान करता है और अल्लाह असीमित ज्ञान वाला है।” (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२६।)

□ अच्छी बात की उपमा  
अच्छे वृक्ष की है  
क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह  
ने शुभ बात की कैसी उपमा दी है?

वह एक शुभ वृक्ष के सटूश है, जिसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। और उसकी डालियां आकाश तक पहुंची हुई हैं। और अपने रब की आज्ञा से वह वृक्ष हर समय अपना फल दे रहा है। अल्लाह ये उदाहरण इसलिए बयान करता है ताकि वे ध्यान दें। और अशुभ और अशुद्ध बात की उपमा एक अशुभ वृक्ष की है, जो भूमि के ऊपर से ही उखाड़ फेंका गया। उसके लिए कुछ भी स्थिरता नहीं है।” (सूरा-१४, इबराहीम, आयत-६०)

आयतें-२४-२६)  
अल्लाह अच्छाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है निस्संदेह अल्लाह न्याय का, भलाई का और नातेदारों को (उनके हक) देने का हुक्म देता है। और अश्लीलता, बुराई तथा सरकशी से रोकता है। वह तुम्हें इन बातों का उपदेश देता है, ताकि तुम ध्यान दो। (सूरा-१६, अन-नहल, आयत-६०)

“कुरआन मजीद की इंसाइक्लो पीडिया” से

## मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं

का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक  
इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक  
दी सिम्पल ट्रूथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

# दीन के मामले में कोई ज़बर दस्ती नहीं

**लेखक: डा० मुहम्मद लईकुल्लाह खान, असगर अली इमाम महदी सलफी**

इस्लाम ने आतंकवाद के आगे वैचारिक दीवार खड़ी करने के लिए अपने अनुयायियों पर यह अनिवार्य किया है कि वे दीन के सिलसिले में किसी पर कोई ज़बर दस्ती न करें जो लोग इस्लाम पर यह आरोप लगाते हैं कि वह अपने अनुयायियों को ज़बर दस्ती मुसलमान बनाने का हुक्म दिए हुए हैं वे सरासर आरोप लगा रहे हैं।

अल्लाह तआला ने (दीनी अकीदा) की आज़ादी दी है। हर इन्सान को धार्मिक आज़ादी का हक् है अल्लाह ने सूरह बक़रा की आयत २५६ में फरमाया।

“दीन के सिलसिले में कोई ज़बर दस्ती नहीं”

यह आयत अकीदा के अध्याय में बड़ी महत्वपूर्ण है इसका एक पहलू यह भी है कि इस आयत से पहले आयतुल कुर्सी आयी है जिसमें अल्लाह की कुदरत की महानता और उसके ज्ञान की परिपूर्णता का उल्लेख किया गया है फिर दीन के बारे में ज़बर दस्ती न करने का

हुक्म दिया गया है इसका अभिप्राय यह सामने आता है कि यदि ज़बर दस्ती ही करनी होती तो अल्लाह तआला सर्व शक्तिमान है अल्लाह साहिबे (कुन फ-यकून) है वह यदि कोई काम करना चाहे तो वह अपनी कुदरते कामिला (असीमित शक्ति) से कोई भी काम कर सकता है। वह यदि चाहता तो हुक्म दे देता कि दुनिया का हर इन्सान मुसलमान हो अल्लाह के आदेश से ऐसा हो जाता लेकिन अल्लाह ने अपना यह इस्तियार इस्तेमाल नहीं किया फिर अल्लाह ने यह भी बयान किया कि उसका ज्ञान असीमित है। बन्दों का ज्ञान सीमित है मानो अल्लाह को पता है कि कौन व्यक्ति क्या धर्म अपनाएगा।

धार्मिक आज़ादी वाली यह आयत कब और क्यों उतरी इसके उत्तरने का कारण क्या है?

टीका की किताबों में इस आयत के उत्तरने के ज़माने के बारे में अनेक घटनाएं बयान की गयी हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास

रजिं से रिवायत है कि ऐसी औरत जिस की औद जिंदा न बचती थी तो वह नज़र मानती थी कि यदि उसका बेटा जिन्दा बच गया तो वह उसे यहूदी बना देगी जब बनू नज़ीर का मदीना से निष्कासन हुआ तो उनके यहां अन्सार की औलाद थी। अन्सार कहने लेगे हम अपनी औलाद को उनके साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने कुरआन में यह आयत उतारी “ला इकराह फिद्दीन” दीन के सिलसिले में कोई ज़बर दस्ती नहीं।

यह हदीस इस आयत के उत्तरने के विषय के सिलसिले में सबसे बेहतर हदीस मानी जाती है सुनन अबू दाऊद और सुनन नेसाई में रिवायत हुई है।

इन्हे अब्बास रजिं रिवायत करते हैं कि यह आयत एक अन्सारी के बारे में उतरी जिसके दो बेटे थे इसाई थे और वह स्वयं मुसलमान था। अन्सारी ने नबी सल्लूॢ से मालूम किया कि क्या मैं अपने बच्चों को इस्लाम अपनाने पर मजबूर न करूँ? क्योंकि वे ईसाइयत पर कायम

रहना चाहते हैं अल्लाह ने ऐसा करने से रोकने के लिए यह आयत उतारी।

टीकाकार अलवाहिदी और मुजाहिद से रिवायत है कि यह आयत एक ऐसे अन्सारी के बारे में नाज़िल हुई जिसके पास एक गुलाम था वह उसे इस्लाम स्वीकारने के लिए मजबूर करता था।

इस आयत के उत्तरने के समय और विषय के सिलसिले में और भी बहुत सी घटनाएं रिवायत में आती हैं। उनका भावार्थ यही है। इन्हे कसीर ने इसकी टीका में लिखा है कि यह आयत कुछ अंसारियों के बारे में उतरी है लेकिन इसका हुक्म आम है। इन्हे कसीर ने जो कुछ कहा है वह एक निश्चित कायदे के अनुसार है कायदा यह है कि शब्द आम है हुक्म आम ही होगा। इसका मतलब यह है कि अगरचे (धार्मिक आज़ादी) वाली आयत विशेष लोगों के बारे में अवतरित हुयी थी लेकिन वह उन लोगों के लिये खास नहीं थी बल्कि विशेष लोगों को विशेष कर्म से रोकने के लिये अवतरित हुयी थी और वह विशेष कर्म जहाँ और जब

भी पाया जाये गा इस आयत का हुक्म इस पर लागू हो गा और वह अमल था किसी को भी धर्म कुबूल करने पर मजबूर करना। आयत में ऐसा करने से मना किया गया है।

अतः कोई भी मुसलमान कभी भी और कहीं भी किसी को भी अपने धर्म कुबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकता इस हुक्म की ताईद, हज़रत उमर के गुलाम (उस्क) वाले वाक्ये से भी होती है। इन्हे अबी हाकिम (उस्क) से रिवायत करते हैं कि वह उमर बिन खत्ताब के नसरानी गुलाम थे, उमर बिन खत्ताब मुझे इस्लाम की दावत देते थे और मैं मुसलमान होने से इन्कार कर देता था। उमर सुनकर कहते “दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं” उमर कहते ऐ उस्क अगर तुम मुसलमान हो जाते तो हम तुम से मुसलमानों के बाज़ कामों के सिलसिले में तुम्हारी खिदमत प्राप्त कर लेता।

इस्लाम दर्पण की तरह पारदर्शी है, चमकदार है, इस्लाम प्राकृतिक धर्म है इसे कुबूल कराने के लिये जबरदस्ती की जरूरत नहीं है इन्हे जजी “ला इकराहा फिद दीन” के

बारे में बताते हैं कि आयत का अर्थ यह है कि इस्लाम तर्क संगत और विश्वसनीय धर्म है इसे मनवाने के लिये किसी जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं। इसका इजहार अल्लाह के कलाम “कद तबै-यनर रूशदो मिनल ग़्य” से भी होता है जिसका अर्थ है, सत्यमार्ग असत्यमार्ग से विशिष्ट हो गयी है। यह हकीकत सामने आ गयी है इसके बाद जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है।

इन्हे कसीर कहते हैं कि “लाइकराहा फिद दीन” का अर्थ यह है कि किसी को इस्लाम धर्म को कुबूल करने पर मजबूर न करो क्यों कि इस्लाम की दलीलें और साक्ष्य दिन के उजाले की तरह प्रकट हो चुके हैं, इस्लाम ऐसा धर्म नहीं है जिसे कुबूल करने पर आमादा करने के लिये किसी प्रकार का दबाव डाला जाये जो भी इस्लाम की हिदायत को कुबूल करेगा और उसका सीना इस्लाम के लिये खुलेगा और उसकी बसीरत (दृष्टि) को रोशन करेगा वह स्पष्ट आधारों पर इस्लाम में दाखिल हो गा अल्लाह ने जिसका दिल बन्द कर दिया हो और जिस के कान

और आंख पर मुहर लगा दी हो उसपर जोर जबर दस्ती का कोई फाइदा नहीं होगा। कुरआन की आयत “ला इकराहा फिद दीन” ने इस्लाम का एक महान नियम निर्धारित किया है यह नियम आस्था की आजादी का है। यह बात मानवीय प्राकृतिक के अनुसार है कि हर इन्सान अपनी आस्था अपनी मर्जी से अपनाये किसी आर्थिक या चारित्रिक दबाव से प्रभावित हो कर इस्लाम में न जाये। वास्तव में धर्म के बारे में जबरदस्ती मानवीय प्रतिष्ठि के बिल्कुल विपरीत है और अल्लाह ने हर इन्सान को सम्माननीय बनाया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है “और हमने इन्सानों को सम्माननीय बनाया” (सूरे इसरा ७०)

सारांश यह है कि कुरआन की आयत “ला इकराहा फिद दीन” अगरचे खास सबब से नाजिल हुयी थी लेकिन यह सबब आयत के हुक्म को सीमित करने का सबब नहीं बल्कि आयत में एक नियम बयान किया गया है यह सबसे पहले उन लोगों पर लागू हुआ जो इसके

सबसे पहले पात्र थे। धार्मिक मामलों में जोर जबरदस्ती से काम न लें, इस्लाम का सर्वमान्य सिद्धांत है।

मुसलमानों ने हर दौर और हर स्थान पर इसे लागू किया है। इस्लाम का यह सिद्धांत निम्न यर्थाथ और इस्लामी नियमों पर काइम है।

इस्लाम अन्तिम आसमानी धर्म है यह पूरे संसार के लिये रहमत है ऐसा धर्म जिसका स्वभाव यह हो कि वह अपने अनुयाइयों को इस्लाम कुबूल करने पर आमादा करने के लिये गैर मुस्लिमों को मजबूर करने की इजाजत नहीं दे सकता, जोर जबरदस्ती का हुक्म अमान्य हो गा।

अल्लाह ने अपने पैगम्बर (ईशदूत) को बताया कि आप कितना भी लोगों को मोमिन बनायें बहुत सारे लोग गैर मुस्लिम ही रहेंगे। इस स्पष्ट निर्देश के बाद इस्लाम कुबूल करने का हुक्म अमान्य होगा, इस्लाम यह आदेश क्यों देगा कि पूरी दुनिया को गैर मुस्लिमों से खाली कर दिया जाये?

पैगम्बर इस्लाम ने स्वयं बताया है कि यह दुनिया गैर मुस्लिमों से कभी खाली न होगी बल्कि कियामत

के समय दुनिया के लोग गैर मुस्लिम ही होंगे और उस समय मुसलमान न होंगे।

अल्लाह तआला ने बता दिया है कि अल्लाह के सिवा कोई भी लोगों के मन मस्तिष्क को कन्ट्रोल करने की ताक़त नहीं रखता।

अम्बियाए किराम लोगों के दिलों में हिदायत नहीं डाल सकते थे। अल्लाह एक मात्र हस्ती है जो दुनिया भर के इन्सानों को मुसलमान बनने की ताक़त रखती है। अम्बिया, पैगम्बर और प्रचारक अल्लाह का सन्देश लोगों तक पहुंचाने पर नियुक्त हैं मुसलमान होना या न होना यह स्वयं संसार वालों के इरादे पर निर्भर है।

अल्लाह फरमाता है: “तुम याददिहानी कराओ, तुम केवल याद दिहानी कराने वाले हो तुम उन पर मुसल्लत नहीं”

अल्लाह तआला फरमाता है: “क्या तुम लोगों को मोमिनीन बनने पर मजबूर करोगे? (सूरह यूनुस-६६) अल्लाह फरमाता है: “तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते अल बत्ता अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे

सकता है हिदायत पाने वालों का ज्ञान उसे ज्यादा है”। यदि नबी सल्लू८ किसी के दिल में हिदायत नहीं डाल सकते तो शैतान भी किसी के दिल में गुमराही नहीं डाल सकता शैतान का काम और उसके इरादे व काम का दायरा भी गुमराही की दावत पेश करने तक सीमित है। अल्लाह तआला ने यह वायदा किया है कि शैतानी अमल का जादू केवल उन लोगों पर चलेगा जो अपने इरादे से उसका अनुसरण स्वीकार करेंगे। अल्लाह ने यह वायदा भी किया है कि वह हर उस इन्सान को हिदायत देगा जिस के दिल में हिदायत पाने का इरादा होगा।

अल्लाह तआला का फरमान है: “मेरे बिना उन पर तेरी सत्ता नहीं चलेगी अलबत्ता वे लोग इससे अपवाद होंगे जो टेढ़ वालों से तेरा अनुसरण करने के इच्छुक होंगे। (सूरह हिज्र -४२)

सूरह इबराहीम आयत २२ में कियामत के दिन शैतान और उसके अनुयायियों के बीच होने वाला संवाद बयान किया गया है। “और शैतान बोला जब तमाम मामलों का फैसला हो चुका, निःसन्देह अल्लाह ने तुम

से सच्चा वायदा किया था और मैंने तुमसे वायदा करके उल्लंघन किया, मैं तुम पर शासक न था, मैंने तो बस तुम्हें दावत दी और तुम ने मेरी बात मान ली अतः तुम मुझे मलामत मत करो बल्कि स्वंय को मलामत करो, न मैं तुहारी बात पूरी करूंगा और न तुम ही मेरी फरियाद सुनोगे, मैं इन्कारी हूं जो तुम ने इससे पहले मुझे शरीक बनाया निश्यय ही ज़ालिमों के लिए दुख दायी अज़ाब है”। (सूरह इब्राहीम-२२)

दीन का संबंध दिल से होता है अतः यदि दिल मानेगा तो इन्सान धर्म स्वीकार करेगा और यदि दिल तैयार न हुआ तो वह दूसरा धर्म नहीं अपनाएगा अतः कोई भी व्यक्ति किसी के दिल में अपनी पसन्द का धर्म ज़बर दस्ती नहीं डाल सकता। अल्लाह तआला ने यह बात कुरआन में बता दी है। “और आप अपने पालनहार की तरफ से हक बात कह दीजिये जो चाहे ईमान लाये और जो चाहे इन्कार करे” सूरे बकरा २५६ “दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है”

आज़ादी, अकीदा और दीन में ज़बर दस्ती की मनाही वाली एक

अकेली आयत करार देना उचित नहीं क्योंकि इस सिलसिले की और भी आयतें हैं और यह आयत इसी सिलसिले का हिस्सा है। बस इसमें एक बढ़ा हुआ बिन्दु है जो यह है कि मुसलमान किसी को भी ज़बर दस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश न करें।

हर व्यक्ति को अपने हित के अनुसार कोई भी अकीदा रखने का हक् हासिल है लिरबल इज़्म में इसकी गुंजाइश हैं इस्लाम में नहीं क्योंकि कुछ अकीदे गलत हैं और गलत अकीदों में न किसी व्यक्ति का हित है न समाज का, इस्लाम मुसलमान बनाने पर मजबूर करने से मना करता है लेकिन गैर इस्लामी अकीदों की सत्यता का भी समर्थक नहीं, इस्लाम अकीदों और अकीदा रखने वालों के अकीदों का सुधार करता है और उन्हें तसलीम नहीं करता अलबत्ता गैर मुस्लिमों को उनके अकीदों से हटाने के लिए जबर दस्ती की इजाज़त नहीं देता। इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ सद व्यवहार का आदेश देता है ताकि गैर मुस्लिम इस्लाम के उच्च दर्जे के व्यवहार से प्रभावित होकर इस्लाम

स्वीकार कर लें। अल्लाह ने नबी करीम सल्लू० को बार बार यह बात याद दिलायी कि पैगम्बर का काम दीन का पहुंचाना है, हिदायत देना पैगम्बर का काम नहीं है, लोगों को इस्लाम पर मजबूर करना पैगम्बर का काम नहीं, पैगम्बर का काम पैगाम पहुंचाने का है। यदि वे स्वीकार न करें तो पैगम्बर की इस पर पकड़ नहीं होगी।

कुरआन करीम में है।

“फिर यदि वे मुंह फेरें तो हमने उन पर तुम्हें रक्षक बना कर नहीं भेजा, तुम्हारे जिम्मे तो केवल संदेश पहुंचाना है और जब हम अपनी ओर से इन्सान को दयालुता का आनन्द चखाते हैं तो वह उस पर फूला नहीं समाता और यदि उन्हें अपनी कारिस्तानियों पर कोई तकलीफ पहुंचती है तो इन्सान बड़ा ना शुक्रा है”। (सूरह शूरा-४८) “अपने पालन हार के रास्ते की दावत हिक्मत और अच्छी नसीहत करके दो, और उनसे बेहतर तरीके से वाद विवाद करो”। (सूरह नहल-१२५) “इस्लाम, आलमी बिरादरी और सज़दी अरब आतंकवाद के तआकुब में” से

## गुनेहगारों के साथ नरमी

अबू हमदान अशरफ फैज़ी

गलती और पाप करने वाले कई प्रकार के होते हैं अगर ऐसे लोगों को नरमी और प्यार से समझाया जाये तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गा और ऐसे लोग गलती और पाप के बाद तौबा करने पर आमादा हो जायेंगे और एक वक्त ऐसा आयेगा कि उनके मन में गुनाहों से नफरत हो जायेगी जैसा कि हदीस में है। हज़रत अबू हुरैरह रजियल्लाहो तआला अन्हों बयान करते हैं कि एक साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आये और कहा कि मैं तो बर्बाद हो गया। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है? कहा कि रमज़ान के महीने में मैंने अपनी बीबी के साथ संभोग कर लिया है। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई गुलाम है जिसे आज़ाद कर सको? उन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लगातार दो महीने रोज़े रख सकते हो? कहा नहीं। पूछा: क्या साठ गरीबों को खाना खिला सकते हो। इसने कहा कि इसके लिये भी मेरे पास कुछ नहीं है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा लाया गया जिस में

खुजूरें थीं। नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: इसे ले जाओ और सदका कर दो। उन्होंने पूछा कि अपने से ज़्यादा मोहताज पर? इन दोनों पहाड़ियों के बीच हम से ज़्यादा मोहताज कोई नहीं है। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और अपने घर वालों को खिला दो। (सहीह बुखारी ६७११)

इस हदीस पर ग़ौर कीजिए कि आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस नाफरमान पर किसी तरह के गुस्से का इज़हार नहीं किया और न ही लांछन किया बल्कि पाप की प्रयिश्चित के लिये भलाई का मामला किया।

हमारे समाज में ऐसे पापी हैं जिन्हें नरमी से समझाने की ज़रूरत हैं हमारा हाल यह है कि हम उन्हें लान तान करते हैं उनको बिल्कुल अलग थलग कर देते हैं जिसकी वजह से वह शर्मिन्दगी की वजह से हमसे दूर हो जाते हैं और प्रशिक्षण न होने की वजह से उनकी अवज्ञा और बुरी आदतों में बढ़ोतरी हो जाती है इसलिये ऐसे लोगों को क़रीब करने की कोशिश करें, उनका प्रशिक्षण करें, और उनके साथ नरमी और प्यार व मोहब्बत से पेश आयें।

## इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था निर्धन के अधिकार की रक्षा करती है

प्रो० डा० ज़ियाउर्रहमान आज़मी

ब्याज़: एक सामाजिक रोग है, जो कैंसर के रोग की तरह फैलता है। यह रोग जिस समाज में फैल जाता है, उसके जीवित रहने की क्षमता घटती चली जाती है। इसी लिए प्राचीनकाल में कुछ जातियां अपने शत्रुओं के लिए इसका प्रयोग करती थीं, जबकि स्वयं अपने ऊपर इसे वर्जित किए हुए थीं। बाइबल में भी इसको अपने लोगों के लिए वर्जित किया गया है-

“यदि तू मेरी प्रजा में से किसी ग्रीब को, जो तेरे पास रहता हो रुपये का ऋण दे तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना।”  
(निर्गमन, २२:२५)

“जो कोई अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और भोले-भाले निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाने के लिए धूस नहीं लेता। जो कोई ऐसी चाल चलता है, वह कभी न डगमगाए गा।” (भजन संहिता, १५:५)

‘नहेम्याह’ ने यहूदियों को फटकारा जो अपने भाइयों से ब्याज

लेते थे। (नहेम्याह, ५:६-१२) जहां बाइबल ने यहूदियों को आपस में ब्याज के लेने से रोका है, वहीं गैर यहूदियों से ब्याज लेना उचित और वैध बताया है-

“अपने किसी भाई को ब्याज पर ऋण न देना, चाहे रुपया हो, चाहे खाद्य-सामग्री हो, चाहे कोई और वस्तु, जो ब्याज पर दी जाती है उसे बयाज पर न देना। तू परदेसी को बयाज पर ऋण तो दे, परन्तु अपने किसी भाई से ऐसा न करना”  
(व्यवस्था विवरण, २३:१६-२०)

सत्य तो यह है कि यहूदियों को भी ब्याज खाने से रोका गया था। परन्तु उन्होंने ऐसा न किया बल्कि ब्याज खाते रहे। पहले गैर-यहूदियों से ब्याज खाया और फिर आपस में भी खाने लगे जिसके कारण अल्लाह ने बहुत सारी हलाल चीजें भी उन पर हराम कर दीं। (देखिएः सूरा-४, निसा, आयत-१६०-१६१)

रहा इस्लाम तो उसने ब्याज का खाना सदैव के लिए वर्जित कर

दिया, चाहे वह मुसलमान के बीच हो, चाहे मुसलमान और गैर-मुस्लिम के बीच। क्योंकि इस्लाम एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें आपस में सहानुभूति तथा सहायता का बरताव किया जाए, जबकि ब्याज का प्रचार समाज में धृणा और शत्रुता का कारण बनता है। ब्याज देने वाला व्यक्ति ब्याज लेने वाले लोगों की विवशता से लाभ उठाता है। और उनकी दुर्दशा को अपनी कमाई का साधन बनाता है, बल्कि एक बार किसी निर्धन को ब्याज देकर उसको सदैव के लिए अपना आधीन बना लेता है। क्योंकि ब्याज दर ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चंगुल में एक बार कोई निर्धन फंस जाए तो फिर वह कभी नहीं निकल सकता। भला ऐसे समाज में सहानुभूति तथा प्रेम-भाव कैसे पैदा हो सकता है। इसलिए कुरआन ने ब्याज लेने वाले की कड़ी निन्दा की है।

“जो लोग ब्याज खाते हैं वे

इस प्रकार उठेंगे जैसे वह आदमी उठता है जिसको शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। यह इसलिए होगा कि उन्होंने कहा, “व्यापार भी तो ब्याज के समान है” जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल किया और ब्याज को हराम।” (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२७५)

अर्थात् ब्याज खाने वाले कियामत में बावलों की तरह उठेंगे, और दुनिया ही में हराम की इस कमाई में वे किसी बावले से कम नहीं होंगे, जो हर समय निर्धनों का रक्त चूसने के लिए सोच-विचार में पड़े रहते हैं। इसलिए कुरआन मेमिनों को सम्बोधित करते हुए साफ घोषणा करता है।

“एक ईमानवालो, अल्लाह से डरो, और जो ब्याज शेष रह गया है उसे छोड़ दो। यदि तुम सचमुच ईमान वाले हो। अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और यदि क्षमा मांग लो तो अपना मूलधन लेने का तुम्हें अधिकार है, ताकि न तुम किसी पर अत्याचार करो, और न तुम पर अत्याचार किया जाए।” (सूरा-२, अल बकरा, आयतें २७८, २७९)

अर्थात् ऋण देने वाले के लिए जायज़ है कि जितना ऋण दिया है वह वापस ले ले, और उसपर ब्याज लेने से तौबा कर ले। अगर ऐसा कर लेता है तो न उसपर अत्याचार होगा और न ऋण लेने वाले पर। परन्तु अगर वह ऐसा नहीं करता है, बल्कि ब्याज लेने पर अड़ा रहता है तो फिर वह अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करता है और अल्लाह तआला तथा रसूल से युद्ध करने वाला संसार तथा परलोक में कभी सफल नहीं हो सकता। संसार में वह बावलों की तरह जीवन व्यतीत करेगा, सिजको शैतान ने छू लिया हो। और यह भी हो सकता है कि उसका धन एक झटके में समाप्त हो जाए। कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे सारा धन जाता रहे, जैसा कि ब्याज खाने वालों को देखा गया है। प्रलय में उनके साथ जो होने वाला है वह इसके अतिरिक्त है।

इसके विपरीत सदका (दान) है, जिसके विषय में कुरआन में आया है।

“अल्लाह ब्याज को घटाता और मिटाता है, और सदकों (दान) को बढ़ाता है।” (सूरा-२, अल-बकरा, आयत-२७६)

कुरआन की दृष्टि में ब्याज प्रत्येक दशा में हानिकारक है। इसके द्वारा किसी भलाई की आशा नहीं की जा सकती, जिसका समर्थन जब पश्चिम के अर्थशास्त्री भी करने लगे हैं, और उनकी बहुत बड़ी संख्या इस्लामी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने की ओर आकर्षित हो गई है। कुरआन में एक दूसरे स्थान पर आया है।

“जो ब्याज तुम देते हो, ताकि लोगों के धनों में सम्मिलित होकर बढ़ जाए तो वह अल्लाह के यहां नहीं बढ़ता, और जो ज़कात तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए देते हो तो ऐसे ही लोग हैं अपना माल बढ़ाने वाले।” (सूरा-३०, अर-रू३, आयत-३६)

अर्थात् ब्याज से माल बढ़ता नहीं बल्कि जिस धन में ब्याज मिल जाए उससे उसकी बरकत उठ जाती है। इसके विपरीत ज़कात है जिसके देने से धन में कमी नहीं आती, बल्कि अल्लाह की ओर से बरकत होती है और ज़कात देने वाले का दान बढ़ता ही रहता है। यह तो संसार की बात है और परलोक में उसके बदले क्या कुछ मिलने वाला है हम उसको सोच भी नहीं सकते।

ब्याज दो प्रकार के होते हैं:

१. प्रथम जिसे ‘रिबा नसीया’ या चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं, जैसे एक हज़ार रूपये ऋण देकर एक माह बाद एक हज़ार एक सौ रूपये लिया जाए। मौजूदा समय में अधिकतर ब्याज ‘रिबा नसीया’ है, क्योंकि इस ब्याज में समय का बहुत बड़ा महत्व होता है अर्थात् जितना अधिक समय बीतेगा उसी के हिसाब से बयाज बढ़ता जाएगा। कभी ब्याज के ऊपर भी ब्याज लग जाता है, जिसकी ओर कुरआन संकेत करते हुए कहता है।

“ऐ ईमान वालो! बढ़ा-चढ़ाकर ब्याज न खाओ, और अल्लाह से डरो, ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो।” (सूरा-३, आले-इमरान, आयत-१३०)

ब्याज के लेन-देन में होता यह है कि ऋण लेने वाला अगर समय पर ऋण वापस नहीं कर पाता है तो साहूकार उसे कुछ और समय दे देता है, परन्तु इसके बदले ब्याज की दर बढ़ा देता है, फिर जितना समय बीतता जाता है ब्याज की दर बढ़ती जाती है, यहां तक कि छोटा-सा मूल-धन बढ़कर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, जिसको वापस करना असम्भव हो जाता है। फिर उसका

घर-बार सब कुछ बिक जाता है, और वह फ़कीर होकर रह जाता है। उसके पास न रहने के लिए घर होता है न खाने के लिए भोजन, न पहनने के लिए वस्त्र, क्योंकि यह सब साहूकार का हो जाता है। इस दशा को कुरआन ने ‘अज़आफ़म मुज़आफ़ा’ कहा है जिसका अर्थ बढ़ा- चढ़ाकर लेना है क्योंकि ‘रिबा नसीया’ में सबसे अधिक महत्व समय का है जिसके कारण ब्याज बढ़ते-बढ़ते कहीं से कहीं पहुंच जाता है। ऐसे साहूकारों को चेतावनी दी गई है कि अल्लाह से डरो। उसके बाद की आयत में बताया गया है-

“उस आग से डरो जो कुफ़ करने वालों के लिए तैयार की गई है।” (सूरा-३, आले-इमरान, आयत-१३१)

अर्थात् ऐ ईमान वालो, अगर तुम ब्याज से नहीं रुकते तो तुम्हारा यह कुकर्म तुम को कुफ़ तक पहुंचा सकता है, क्योंकि ऐसा करना वास्तव में अल्लाह तथा रसूल से युद्ध करने के समान है। निष्कर्ष यह कि ‘रिबा नसीया’ में समय की प्रधानता एवं महत्ता होती है और समय के हिसाब से ब्याज बढ़ता है। इसलिए किसी ऋण से यदि समय तथा ब्याज की

दर निकाल दी जाए तो वह केवल ऋण रह जाएगा। और ऋण को वापस करते समय अगर लेने वाले ने अपने ओर से स्वयं कुछ बढ़का कर दे दिया तो वह ब्याज नहीं होगा। बल्कि ऐसे व्यक्ति की तो प्रशंसा की गई है।

२. द्वितीय प्रकार के ब्याज को ‘रिबा फ़ज़्ल’ कहते हैं। इसका अर्थ है किसी वस्तु को बदलने की दशा में अधिक देना। फ़ज़्ल का अर्थ है अधिक।

एक सहीह हदीस में आया है- “सोने को सोने के बदले बेचो और चांदी को चांदी के बदले और गेहूं को गेहूं के बदले और जौ को जौ के बदले और खजूर को खजूर के बदले और नमक को नमक के बदले और जो एक-दूसरे के बराबर हों और हाथ के हाथ हों। यह चीज़ें अगर बदलकर बेचनी हों तो जैसे चाहो वैसे बेचो, परन्तु हाथ के हाथ होनी चाहिए।” (सहीह मुस्लिम, १५८७)

अर्थात् उधार नहीं, इसी प्रकार की और भी बहुत सी सहीह हदीसें हैं जिनसे निम्नलिखित बातों का ज्ञान होता है।

१. ये चीज़ें तीन प्रकार की हैं।  
एक सोना, चांदी

दूसरी अनाज, तीसरी मसाला

ये तीन प्रकार की वे चीजें हैं जिनसे मनुष्य की विशेष आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। इस्लाम ने इनको बचेने के लिए इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं इनमें भी ब्याज का कोई पहलू पैदा न होने पाए इसलिए इनको बेचने के लिए दो शर्तें लगाई। एक यह कि इनको बराबर की दशा में बेचा जाए। अर्थात् एक किलोग्राम सोना या चांदी को एक ही किलोग्राम सोना या चांदी से बेचा जाए। इसी प्रकार एक किलोग्राम अनाज या नमक को एक ही किलोग्राम अनाज या नमक से बेचा जाए। इसमें अच्छे और खराब सब बराबर हैं। यह प्रतिबन्ध इसलिए लगाया गया कि कहीं किसी निर्धन को ब्याज के दलदल में न फँसना पड़ जाए।

दूसरी शर्त यह लगाई गई कि हाथ के हाथ हो। अर्थात् उधार न हो जैसे कोई एक किलोग्राम सोना एक किलोग्राम सोना के बदले बेचना चाहे परन्तु उधार पर, तो यह सही नहीं होगा बल्कि ब्याज बन जाएगा। क्योंकि पहले बताया जा चुका है कि समय ब्याज का विशेष कारण है। इसलिए आवश्यक है कि ये चीजें बराबर के साथ हाथ के हाथ बेची

जाएं।

2. जब इनको बदलकर बेचना हो तो जैसे चाहे बेच सकते हैं परन्तु शर्त यह है कि हाथ के हाथ बेची जाए। जैसे सोने को चांदी के बदले, या गेहूं को जौ के बदले बेचना हो तो बराबर का होना आवश्यक नहीं जिस प्रकार और जितने में चाहें बेच सकते हैं, परन्तुम हाथ के हाथ होना आवश्यक है।

3. जब इन चीजों के बदले किसी और चीज़ को बेचना हो तो फिर कोई शर्त नहीं, जैसे चाहे बेचा जाए। हाथ के हाथ होना भी आवश्यक नहीं। जैसे एक ग्राम सोने के बदले सौ किलोग्राम गेहूं। इसी प्रकार सौ किलोग्राम खजूर के बदले पांच सौ किलोग्राम अनाज। ऐसी दशा में बराबर होना अनिवार्य नहीं है, बल्कि जिस प्रकार आपस में तय हो जाए बेचा जा सकता है। अब एक व्यक्ति सौ किलो ग्राम उत्तम चावल को उससे कम अच्छे चावल के बदले बेचना चाहता है ताकि वह अधिक मिल जाए तो उसको चाहिए कि पहले सौ किलोग्राम उत्तम चावल को रूपयों में बेच दे, और फिर उस रूपये से कम अच्छा चावल जितना मिलता हो खरीद ले। ऐसी दशा में

उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह है इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था, जिसके द्वारा वह निर्धन के अधिकार की रक्षा करता है, ताकि वह बयाज के रोग में जकड़कर सदैव के लिए नष्ट हो जाए।

अब चूंकि व्यापार में लेन-देने नोटों के द्वारा होता है इसलिए एक हज़ार रुपये के बदले कोई एक हज़ार एक सौ रुपये ले या दे तो यह ब्याज कहलाएगा, चाहे हाथ के हाथ हो या कर्ज़ की दशा में, चाहे बैंक के द्वारा हो या व्यक्ति द्वारा। इसलिए बैंक के ब्याज से बचने के लिए विद्वानों ने इस्लामिक बैंक का विचार पेश किया जो शरीअत के विभिन्न आधारों पर निर्धारित है। विशेषकर “मुज़ारबत” और “सलम” मुजारबत यह है कि कुछ लोग मिलकर पूँजी इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग उससे व्यापार करते हैं और सभी लोग लाभ और हानि में किसी सिद्धान्त के द्वारा सम्मिलित होते हैं।

“सलम” का प्रयोग व्यापार में किया जाता है जो बैंक से कर्ज़ लेकर सलम के सिद्धान्त पर वापस किया जाता है अधिक जानकारी के लिए किसी इस्लामी बैंककारी की पुस्तक का अध्ययन किया जा सकता है।

# ईश्दूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं एवं उपदेश

नवास बिन समआन रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: क्यामत के दिन कुरआन, उसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वालों को लाया जायेगा उस वक्त सूरे बकरा और आले इमरान उस के आगे आगे होंगी। (मुस्लिम ८०५)

मअूकिल बिन यसार रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: फितनों के जमाने में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत के समान है। (मुस्लिम २६४८)

अबू अय्यूब अनसारी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी शख्स के लिये यह जाइज नहीं कि अपने किसी भाई से तीन दिन से ज्यादा के लिये मुलाकात छोड़े इस तरह कि जब दोनों का सामना हो

जाये तो यह भी मुंह फेर ले और वह भी मुंह फेर ले और उन दोनों में बेहतर वह है जो सलाम में पहल करे। (बुखारी ६०७७ मुस्लिम २५६०)

उमर बिन अबू सलमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मुझ से कहा ऐ लड़के खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। (बुखारी ५३७६ मुस्लिम २०२२)

अबू बकरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब दो मुसलमान अपनी तलवारों को लेकर आमने सामने मुकाबले पर आ जायें तो दोनों जहन्नमी हैं पूछा गया कि यह तो कातिल था और मकतूल ने क्या किया? फरमाया कि मकतूल भी अपने मुकाबिल को कल्ल करने का इरादा किये हुये था। (बुखारी ७०८३ मुस्लिम २८८८)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला

अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: उमरा और हज्जे मबरूर का बदला जन्नत है। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जमाही शैतान की तरफ से आती है, इसलिये जब तुम में से किसी को जमाही आये तो अपनी ताकत भर उसे शैतान की तरफ लौटा दे। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: मुसलमान को जो भी, थकान, बीमारी रंज व गम, तकलीफ पहुचती है यहां तक कि कांटा चुभता है तो अल्लाह इसकी वजह से उसके गुनाहों को मिटा देता है। (बुखारी-मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

ने फरमाया: अल्लाह तुम में से किसी के तौबा कर लेने पर बहुत खुश होता है जैसे तुम में से कोई अपनी गुमशुदा उंटनी के पा जाने पर खुश होता है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रमज़ान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है और फर्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि ईमान न ले आओ, और उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि एक दूसरे से मुहब्बत न करो। क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ न बताऊं जिसके करने से तुम एक दूसरे से मुहब्बत करने लगो गे? अपने बीच में सलाम को फैलाओ। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला

अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: रमज़ान के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़ा अल्लाह का महीना मुहर्रम का रोज़ा है और फर्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जिसने हमारे खिलाफ हथियार उठाया तो वह हम में से नहीं है और जिसने हम को धोखा दिया तो वह हम में से नहीं है। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब इन्सान मर जाता है तो उसके कर्म का सिलसिला टूट जाता है मगर तीन चीज़ों की वजह से नहीं टूटता है: सद-क-ए जारिया, वह ज्ञान जिस से फाइदा उठाया जाये और नेक औलाद जो उसके लिये दुआ करे। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम

ने फरमाया: तुम अपने मुर्दों को लाइलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जिसने जान बूझ कर मेरे ऊपर झूठ गढ़ा तो उसका ठिकाना जहन्नम है। (मुस्लिम) अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जिसने नेकी की तरफ बुलाया उसके लिये उसी तरह का बदला है जिसने इस नेकी को अपनाया उनके सवाब से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। और जिसने बुराई की तरफ बुलाया तो उसको उसी जैसा गुनाह मिलेगा जिसने इस बुराई पर अमल किया उनके गुनाहों में से कुछ भी कम नहीं किया जायेगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: तुम अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरे बक़रा पढ़ी जाती है। (मुस्लिम) अबू

हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: वह शख्स जन्नत में नहीं जायेगा जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: सजदे में बन्दा अपने ख से करीब होता है इस लिये ज्यादा से ज्यादा दुआ करो। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जो शख्स इस्म हासिल करने के लिये चला अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में जाने का रास्ता आसान कर देगा। (मुस्लिम)

अबू हुरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: बेशक अल्लाह क्यामत के दिन कहे गा मेरे जलाल से मुहब्बत करने वाले कहां हैं, उस दिन मैं उनको अपनी छाया में कर लूंगा, उस दिन मेरी छाया के सिवा कोई छाया नहीं होगी। (मुस्लिम) अबू हुरैरा

रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया: जब नमाज़ के लिये इक़मत कही जाये तो फर्ज़ नमाज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं है। (मुस्लिम) आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं कि आप ने फरमाया: जिसने हमारे दीन में नई बात ईजाद की जो उस से न हो तो वह मरदूद है। (बुखारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आप ने फरमाया: अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमाल वह हैं जिनको बराबर किया जाये अगर्चे कम हों। (बुखारी-मुस्लिम)

आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से बयान करती हैं आपने फरमाया: जिस शख्स ने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिये नज़र मानी तो चाहिये कि वह उस की फरमाबरदारी करे और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की नज़र मानी तो वह अल्लाह की नाफरमानी न करे। (बुखारी)

(प्रेस रिलीज़)

रजबुल मुरज्जब

१४४५ का चाँद

नज़र आ गया

दिल्ली, १२ जनवरी २०२४

मर्कज़ी जमीअत अहले हवीस हिन्द की “मर्कज़ी अहले हवीस रुयते हिलाल कमेटी दिल्ली” से जारी अखबारी बयान के अनुसार दिनांक २६ जुमादल उख्रा १४४५ हिजरी अर्थात् १२ जनवरी २०२४ जुमा को मगिरब की नमाज़ के बाद अहले हवीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में “मर्कज़ी अहले हवीस रुयते हिलाल कमेटी दिल्ली” की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और जुलहिज्जा के चांद को देखने के सिलसिले में यथापूर्व देश के अधिकांश राज्यों की जमाअती इकाइयों के पदधारियों और समुदायिक संगठनों से फून के माध्यम से संपर्क किये गये जिसमें विभिन्न राज्यों से चांद को देखने की प्रमाणित खबर मिली। इस लिये यह फैसला किया गया कि दिनांक १३ जनवरी २०२४ के दिन रजब की पहली तारीख होगी।

## राष्ट्रीय सद्भावना और गैर मुस्लिमों के अधिकार

अबू अदनान सईदुर्रहमान सनाबिली

**आर्थिक सहयोग:** अल्लाह ने कुरआन में फरमाया है कि गैर मुस्लिम ज़खरतमन्द भी हमारे आर्थिक सहायता के पात्र हैं। कुरआन में अल्लाह तआला कहता है।

“किसी को हिदायत देना, न देना तुम्हारा काम नहीं है, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत (मार्गदर्शन) देता है, तुम जो भली चीज़ अल्लाह की राह में दोगे उसका लाभ स्वयं पाओगे तुम्हें केवल अल्लाह की खुशी की तलब के लिये ही खर्च करना चाहिये तुम जो कुछ माल खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जायेगा और तुम्हारा हक न मारा जायेगा”। (सूरे बकरा २७२)

कुरआन की इस आयत से यह स्पष्ट होता है कि इन्सान की मदद के वक्त यह देखना ज़खरी नहीं है कि कौन किस धर्म से संबन्धि रखता है। इन्सान को चाहिये कि वह हर ज़खरत मन्द की मदद करे, मोहताज, गरीब, भिखारी का धर्म न

देखे। इमाम इब्ने जरीर तबरी इस आयत की व्याख्या में लिखते हैं कि गरीब गैर मुस्लिम भाइयों को सदके से वर्चित न रखा जाये। इमाम तबरी ने बयान किया है कि ओलमा, सहाबा ताबर्इन ने इस आयत का यही अर्थ निकाला है। चारों खलीफा का यही तरीका रहा है। हज़रत उमर रजिअल्लाहो तआला अन्होंने अपने गवर्नरों के नाम लिख कर हुक्म दिया कि गैर मुस्लिम प्रजा में जो गरीब और ज़खरत मन्द हो उसकी और उसके बाल बच्चों का पालन पोषण मुसलमानों के माल से किया जायेगा।

**रिश्ता नाता जोड़ना-इस्लामी जीवन की बुनियाद** जिन आधारों पर स्थापित है उनमें से एक रिश्तेदारों से सदव्यवहार भी है। इस्लाम धर्म में रिश्ता नाता को जोड़ना और उसको बाकी रखने की बड़ी अहमियत है। अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्होंने बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया हां, अपनी मां के साथ रिश्ता नाता जोड़े रखो

ने फरमाया: जो इन्सान अल्लाह तआला और ईशदूत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम पर ईमान का दावेदार हो वह अपने रिश्तेनाते को जोड़े (बुखारी, मुस्लिम)

और साफ एलान किया गया कि रिश्तों को तोड़ने वालों के लिये स्वर्ग में कोई जगह नहीं है (बुखारी, मुस्लिम)

इस्लामी इतिहास के पन्नों में एक वाक्या दर्ज है। यह वाक्या हज़रत अस्मा रजिअल्लाहो तआला अन्हा का है सुलेह हुदैबिया (एक शान्ति सन्धि) के बाद अस्मा रजिअल्लाहो अन्हा की मां उनसे मिलने के लिये आयी वह ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०व०अ० के पास आयी और कहा कि मेरी मां मेरे पास आयी हैं और अभी तक उन्होंने इस्लाम कुबूल नहीं किया है क्या मैं उनके साथ सदव्यवहार कर सकती हूं। ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने फरमाया हां, अपनी मां के साथ रिश्ता नाता जोड़े रखो

और उनको तोहफों (उपहार) के साथ रखस्त करो। (बुखारी २४७७)

ऊपर की दलीलों से यह स्पष्ट हो जाता है कि तमाम रिश्तेदारों के साथ सदव्यवहार और अच्छा बर्ताव करना है यहां तक कि हमारे रिश्तेदार अगर गैर मुस्लिम हों तो भी उनसे रिश्ता नाता जोड़े रखना है उनसे संबन्ध को स्थापित रखा जाये या उनसे चारित्रिक संपर्क और अच्छा व्यवहार किया जायेगा, इस्लाम की यही शिक्षा है।

इस्लाम ने अपने अनुयाइयों से अपने गैर मुस्लिम पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करने का हुक्म दिया है। ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने तीन बार कस्म खा कर फरमाया कि जो पड़ोसी के परेशानी का कारण बने वह मुसलमान नहीं। (बुखारी ५६७०)

अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०व०अ० ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर इतना बल देते थे कि मुझे आशंका होने लगता कि कहीं उन्हें मीरास में वारिस न

बना दें। (सहीह बुखारी ६०९५, मुस्लिम)

पड़ोसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों हो सकते हैं और दोनों के साथ सदव्यवहार करना है।

अब्दुल्लाह बिन उमर के घर में एक बकरी जबह की गयी, घर में दाखिल होते ही पूछा कि हमारे यहूदी पड़ोसी के घर में कुछ भेजा कि नहीं? ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर बहुत जोर देते थे। (सुनन अबू दाऊद)

#### गैर मुस्लिमों के लिये दुआ

मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि दूसरों की तरक्की राहत और खुशहाली की दुआ और आशा करे यह मुसलमानों के लिये भी है और गैर मुस्लिमों के लिये भी। अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० को एक यहूदी ने अपनी ऊंटनी का दूध निकाल कर आप को दे दिया आपने उसको दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें सौन्दर्य रखे चुनान्वे मरते वक्त तक उसके बाल काले रहे। (मुसन्नफ अबुरहज़ाक १०/३६२)

ईशदूत हज़रत मुहम्मद

स०अ०व० ने यह शिक्षा दी है कि अगर दुश्मन भी किसी कठिनाई में हो तो उसके लिये अल्लाह से भलाई की दुआ की जाये। मक्का के वासी अकाल में लिप्त हो जाते हैं और अबू सुफियान आकर आपसे अनुरोध करते हैं कि आप की कौम मरी जा रही है आप अल्लाह से दुआ कर दें हज़रत मुहम्मद स०अ०व० के दुआ करने के बाद अकाल खत्म हो जाता है। (बुखारी)

अबू मूसा अशअरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि यहूद जान बूझ कर आप की मौजूदगी में छींकते थे कि अल्लाह के रसूल स०व०अ० उनके लिये रहमत की दुआ कर दें लेकिन आप उनके मार्गदर्शन और हालत की बेहतरी के लिये दुआ करते थे। (सुनन अबू दाऊद ५०३८, तिर्मिज़ी २७३६, शैख अल्बानी ने इसे सहीह करार दिया है)

आइशा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करती हैं कि ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने एक यहूदी से एक मुददत के लिये गल्ला खरीदा और उसके पास लोहे की जिरह रहन रखी। (बुखारी)

इसी प्रकार ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने खैबर की ज़मीन को यहूदियों को दिया ताकि वह लोग इसमें खेती करें और जो गल्ला होगा आधा आधा विभाजित होगा जैसा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजिअल्लाहो अन्हुमा ने बयान किया है। (बुखारी)

इस्लाम ने बीमार का हाल चाल मालूम करने की शिक्षा दी है क्योंकि इससे बीमार से हमदर्दी का इजहार होता है। ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० विभिन्न अवसर पर गैर मुस्लिम मरीजों की इशादत की है। अनस रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक यहूदी लड़का हज़रत मुहम्मद स०अ०व० की सेवा करता था जब वह बीमार पड़ा तो उस की इशादत अर्थात् हाल चाल मालूम करने के लिये उसके घर गये। (बुखारी-१२६०)

इसी प्रकार से सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद स०अ०व० कबी-लए बनू नज्जार के एक शख्स को सांत्वना के लिये गये जो गैर मुस्लिम था। (मुस्नद अहमद ३/१५२)

हज़रत अबू हुरैरा रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि

ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० ने एक गैर मुस्लिम भाई की मेहमान नवाजी (आतिथ्य सत्कार) किया। ईशदूत हज़रत मुहम्मद स०अ०व० उसके लिये एक बकरी मंगवा कर उसका दूध दूहा और उसको इस बकरी का दूध पिलाया फिर आपने उसके लिये दूसरी बकरी मंगवायी इसका भी पूरा दूध पी लिया इसी तरह वह सात बकरियों का दूध पी गया। अगले सुबह के वक्त उसने इस्लाम कुबूल कर लिया फिर ईशदूत हज़रत मुहम्मद ने उसके लिये बकरी मंगवायी, इस बकरी का दूध दूहा गया और वह शख्स इस बकरी का दूध पी लिया फिर सन्देष्टा हज़रत मुहम्मद ने दूसरी बकरी मंगवायी फिर वह इस बकरी का दूध न पी सका। (तिर्मिज़ी १८१६)

इसी प्रकार गैर मुस्लिमों से शोक प्रकट किया जा सकता है और मुश्किल वक्त में उनसे हमदर्दी व्यक्त करना इस्लामी शिक्षा का तकाज़ा है।

इसी प्रकार इस्लाम ने गैर मुस्लिमों के साथ इन्साफ करने का हुक्म दिया है। इस्लाम ने इस्लामी शासन को कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर बल दिया है।

इस्लामी शासन में कैदियों के साथ जो मामला किया जाता रहा है वह एक आदर्श है। मक्का विजय के अवसर पर ईशदूत हज़रत मुहम्मद ने साधारण माफी का ऐलान कर दिया, यह एक अनुपम मिसाल है। ईशदूत हज़रत मुहम्मद ने आज से लगभग चौदह सौ साल पहले साधारण मआफी का दृष्टिकोण पेश ही नहीं किया बल्कि इसे व्यवहारिक रूप भी दिया।

उपर्युक्त दलीलों से यह अन्दाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम धर्म गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा व्यवहार की शिक्षा देता है अगर हम राष्ट्रीय सद्भावना और धार्मिक उदारता को व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं तो हमें सब से पहले इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को जो अधिकार दिये हैं उनको अदा करना होगा इस्लाम की इन शिक्षाओं को हम व्यवहारिक रूप से पेश करके इस्लाम के खिलाफ फैले भ्रमों को दूर कर सकते हैं और जो इस्लामी शिक्षाओं को कटटरता और आतंकवाद से आरोपित कर रहे हैं हम अपने चरित्र एवं सदव्यहार से इस आरोप का उचित जवाब दे सकते हैं।

